आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता०.....से.....तक

जिला....., सं०....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 80/2014

रामरूप सिंह एंव अन्य –– अपीलार्थीगण

वनाम

अरूण राम एवं अन्य एवं राज्य –– रेस्पोण्डेन्ट्स

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा पारित आदेश दिनांकः 23.02.12 ई० अन्दर बिहार भूमि विवाद अधिनियम वाद संख्याः 182/11–12 के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। अपीलार्थी एवं सरकारी विद्वान अधिवक्ता को नामांकन के विन्दु पर सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि वादीगण एक भूमिहीन श्रेणी के व्यक्ति हैं, जिसके आवेदन पर अंचल कार्यालय, चौसा में एक बन्दोबस्ती वाद संख्या 15/2005–06 01/2006–07 के माध्यम से सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अंचलाधिकारी, चौसा के द्वारा एक भूमि बंदोबस्ती का परवाना आवेदक/अपीलकर्त्ता के नाम निर्गत किया गया जिस पर आवेदक/अपीलकर्त्ता का घर– दरवाजा व माल मवेशी रखने का नाद गोरिमा खूँटा, चापाकल आदि अवस्थित था, जिसके निश्वत आवेदक द्वारा बिहार सरकार के सिरिस्ते में अपने नाम जमाबंदी कायम कराकर मालगुजारी अदाय कर रसीद रेंट बील अद्यतन प्राप्त करते हैं। विद्वान अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे कथन करते हैं कि विपक्षीगण कुछ अन्य 25–30 असामाजिक तत्वों के बल पर आवेदक/अपीलकर्त्ता को प्रश्नगत भूमि से दखल छोड़ने का दबाव बनाने लगे वो आंशिक रूप से हटा दिये। ऐसी परिस्थिति में आवेदक/अपीलकर्त्ता द्वारा प्रासंगिक वाद लाया गया तथा निवेदन किया गया कि बंदोबस्ती वाली भूमि को पैमाईश व सीमांकन कर बंदोवस्तदार को दखल प्रदान की जाय परन्तु विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के द्वारा दिनांक 23.02.12 को वाला–वाला करके आदेश पारित किया गया जो दोशपूर्ण है बतलाते हैं।

सरकारी विद्वान अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही एवं अपील वाद को Hopelessly time barred का होना बतलाते हैं।

निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि अनौपचारिक रूप से स्थलीय जॉच किया। प्रश्नगत जमीन विद्यालय के उपयोग में है, कुछ रास्ता के रूप में उपयोग हो रहा है और कुछ पर प्रतिवादी कामो मिस्त्री का पूर्व से दखल है। वादी कभी दखल में नहीं आये हैं। बंदोबस्ती को रद्द/संशोधन की कार्रवाई चल रही है। आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि वादी कभी प्रश्नगत भूमि पर प्रश्नगत जमीन पर दखलकार हुए ही नहीं इसलिये उन्हें पुनः दखल दिलाने का कोई औचित्य नहीं है वो इस वाद को निम्नन्यायालय द्वारा खारिज किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात के अवलोकनोपरान्त पाया कि निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई infirmity परिलक्षित नहीं होता है अस्तु अपीलवाद नामांकन स्तर पर खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

6/5/14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

6/5/14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा